

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर।

पत्रांक/उर्दू/नियुक्ति/ 7822-32 /2008-09

दिनांक 12.01.2009

नियुक्ति आदेश

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद (अध्यापक) (तैनाती) नियमावली 2008 में प्राविधानित गठित तैनाती समिति की बैठक दिनांक 06.01.2009 द्वारा चयनित किए जाने के उपरान्त विधित कार्यक्रम ग्रहण करने की तिथि से दो वर्षीय उर्दू बी०टी०सी० विशेष प्रशिक्षण 2006 में प्रशिक्षित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को उनके नाम के सामुख अंकित प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक (उर्दू) वेतनक्रम 4500-7000 में देय महंगाई भत्तों सहित एक वर्ष के परीक्षाकाल पर अर्थाई रूप न नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ की जाती है कि अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गये शैक्षिक अंक पत्र प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र मूल विवास प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतियां यदि जांचोपरांत झूठी, कूटस्थित अथवा अन्य किसी कारण से दूषित पाया जाता है तो सम्बन्धित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही के साथ उनको नियुक्ति, नियुक्ति तिथि से निरस्त कर दी जायेगी। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करें। इस हेतु किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	नियुक्ति हेतु आवंटित विद्यालय तथा विकास क्षेत्र का नाम
1	शबाना बेगम	श्री मौ० मुरसलीन	827/34, योगेन्द्र पुरी, रहमत नगर, मु०नगर	प्रा०वि० सूजड़-3, सदर।

(सर्विदत्त)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर।

पत्रांक/उर्दू/नियुक्ति/ 7822-32 /2008-09 तददिनांक।

प्रतिलिपि निर्मांकित की सेवा में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र० निशातगंज लखनऊ।
2. सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
3. प्राचार्या जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरनगर।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, मुजफ्फरनगर।
6. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
7. सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को इस निदेश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी से उनके बी०टी०सी० उर्दू विशेष प्रशिक्षण 2006 के प्रमाण पत्र पर अंकित फोटो से मिलता हुआ फोटो लगा एक शपथ पत्र वांछित प्रारूप पर लेकर ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करें।
8. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके शैक्षिक योग्यता एवं प्रशिक्षण योग्यता मूल प्रमाण पत्रों की जांच कर लें।
9. सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस आशय से प्रेषित कि वे 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी से लिखित अनुमति के उपरान्त ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें एवं कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी सूचना सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को पंजीकृत डाक से प्रेषित करें। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण पत्र सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें-
 - मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया स्वस्थता प्रमाण पत्र।
 - 02 सन्मानित व्यक्तियों द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण पत्र।
 - इस आशय का शपथ पत्र कि वे इससे पूर्व किसी राजकीय सेवा में सेवारत नहीं थे।
10. कार्यालय गार्ड पत्रावली हेतु।

19

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर।